कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail- **deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com** Phone No. 07162-297009 Pincode-480001

क्रमांक / स्था / विज्ञप्त / सिम्स / 2025 / 7739 छिंदवाड़ा दिनांक –26/ 06 / 2025

/ /सीमित विज्ञप्ति/ /

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4–60 / 2017 / 55–2, भोपाल दिनांक 06–05–2017 / 12–05–2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये है। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 2–53 / 2017 / 1 / 55 भोपाल दिनांक 12 / 01 / 2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्र. 378(ए) / स्था. / राज / 2022, भोपाल दिनांक 12 / 04 / 2022 को जारी अनुसूची के अनुसार रिक्त पदो पर भर्ती किया जाना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1105 एफ 2–45 / 2010 / 1 / 55 भोपाल दिनांक 24 / 07 / 2024 के अनुसार पदोन्नति के रिक्त पदो हेतु पदोन्नति के रोस्टर का पालन करते हुए इन हाउस विज्ञप्ति जारी किया जाना है।

आवेदन की पात्रता मात्र छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में पदस्थ उन्ही चिकित्सको को होगी जो शासन / एन एम सी द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हो। आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र संस्था की वेबसाईट **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

संस्था में पदोन्नति के रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है –

सह प्राध्यापक –

क्र	विभाग / विषय का नाम	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	आरक्षण रोस्टर			
			UR	OBC	SC	ST
1	जनरल सर्जरी	01	01	-	-	-
	कुल योग	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**

आवेदन जमा करने की अंतिम **तिथि** 05/07/2025 **शाम 5:30** बजे तक है। तदउपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेगे।

अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

शर्ते एंव अन्य जानकारी –

1. **वेतनमान –**

पद	नियमित नियुक्ति हेतु वेतनमान
सह प्राध्यापक	1,31,400–2,17,100 + डी0ए0

टीप – समस्त पदो के लिए राज्य शासन द्वारा समय – समय पर स्वीकृत वेतनमान/मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. **आयुसीमा –**

पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
सह प्राध्यापक	30 वर्ष	विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी।

3. **पदो पर आरक्षण** – राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशो के अनुसार होगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्रधिकारी के द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के आधार पर होगा।

4. **अर्हता** – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जारी राजपत्र शिक्षक पात्रता विनियम दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार।

5. **निर्हताये –**

5.1–विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2–दुश्चरित्र होने पर।

5.3–शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4–नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।

5.5–विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात

जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।

5.6—कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।

5.7—कदाचरण संबंधी — किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8—ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी ।

5.9—स्वास्थ्य संबंधी — चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।

5.10—व्यवसायिक आचरण — संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय—समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होगे।

6. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति **प्रथमतः एक वर्ष की अवधि** के लिये परिवीक्षा पर होगी।
7. शासकीय/स्वशासी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय—समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे विभाग जिनमें गैर चिकित्सा शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियो को नियुक्त किया जा सकता है, उनमे चिकित्सकीय शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदको को वरीयता दी जायेगी।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को **एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल** करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे **01 वर्ष का वेतन/मानदेय** के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

11. **आवेदन करने की अंतिम तिथि** :– अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, खजरी रोड जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड– 480001 में आवेदन पत्र दिनांक .... सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
12. आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 11 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावें, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम... .... तथा आवेदित पद का नाम.................. और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमान्य रहेगा।
13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "**www.govtmedicalcollegechhindwara.com**" पर उपलब्ध है।
15. चयन प्रक्रिया मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
16. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।
17. उपरोक्त विज्ञापन, आवेदन का निर्धारित प्रारूप, शार्ट लिस्टेड उम्मीदवार की सूची, सक्षात्कार दिनांक, परिणाम एवं अन्य सभी जानकारी इस संस्था की वेबसाइट "**www.govtmedicalcollege chhindwara.com**" पर समय समय पर उपलब्ध कराये जायेगे। फोन, ई मेल या पत्राचार माध्यम के बजाय चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी संस्था की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :–

1–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे।

2–चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

3–संबंधित पद की समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

4–आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।

5–पदोन्नति के लिए इस संस्था में किये गये कार्य के दौरान कार्यशैली/कार्यकुशलता को पदोन्नति के मापदण्डो की गणना में लिया जावेगा।

6– चयन प्रक्रिया/प्रकशित विज्ञाप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
26.8.25